इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 अगस्त 2016—श्रावण 18, शक 1938

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. एफ-4-9-16-1-(पच्चीस).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ सेवा (तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय) भर्ती नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में बिन्दु क्रमांक 11 के (2) के उप बिन्दु (दो)—"सेवा में सम्मिलित पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर नामनिर्दिष्ट की गई. चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार किये जाने के पश्चात् किया जाएगा." को विलोपित किया जाता है. अनुसूची-1 के शीर्ष पांच-कार्यपालिक के सरल क्रमांक 01 से 25 को छोड़कर.

No. F. 4-9-16-1-XXV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Tribal, Scheduled Caste and Backward Classes Welfare sub-ordinate Service (class-III-Non-Ministerial) Recruitment Rules, 1994 namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 11-(2) sub-rules-II, is omitted. (i. e. The selection of candidates for the posts included in the service shall be made by interviewing them by the Selection Committee, to be nominated by the Board from time to time.) Execept schedule-1 Head V-Executive serial No.-01 to 25.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.